न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 415/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
स्वरूपाराम पुत्र कोजाराम जाति राईका निवासी खेडा बागोडिया तहसील फलौदी जिला जोधपुर		1– लहरा पुत्री कोजाराम 2– धाई पुत्री कोजाराम जाति राईका निवासी खेडा बागोडिया, तहसील फलौदी जिला जोधपुर 3– सरपंच ग्राम पंचायत मण्डला कलां पंचायत समिति फलोदी, तहसील फलोदी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 4–6–2016 जो अपील संख्या 82/2013 अनवान लहरा वगैरा बनाम स्वरूपाराम वगैरा मे न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से।
3– रेस्पो0 संख्या बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 17–1–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खेडा बागोडिया तहसील फलोदी के खसरा नंबरान 1, 2, 3 व 4 की कुल 117.19 बीघा भूमि के 1/2 हिस्से की खातेदार पेपा पत्नी कोजा जाति राईका सा0 देह के खातेदारी की थी । उक्त खातेदार पेपा के फोत होने पर अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि का फोतेदगी का नामांतरकरण संख्या 83 सरूपाराम पुत्र कोजाराम जाति राईका (वर्तमान अपीलांट) के नाम दर्ज कर दिनांक 5–7–04 को स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 83 दिनांक 5–7–04 के विरूद्ध प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी के समक्ष दिनांक 22–10–2013 को वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 लहरा एवं धाई पुत्रियां स्व0 कोजाराम द्वारा इस आशय की पेश की कि रेस्पो0 संख्या 1 (वर्तमान अपीलांट स्वरूपाराम) कोजाराम के भाई चैनाराम का पुत्र है तथा स्व0 कोजाराम ने अपने जीवनकाल मे स्वरूपाराम को गोद नही लिया था परंतु उक्त अपीलाधीन भूमि का म्युटेशन गलत रूप से उसे कोजाराम का पुत्र बताते हुए स्वीकृत कर दिया जबकि वे मृतक खातेदार कोजाराम की जांयदा पुत्रियां है इसलिए उक्त म्युटेशन को निरस्त कर पुत्रियों के नाम दर्ज करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–6–2016 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए नामांतरकरण संख्या 83 ग्राम खेडा बागोडिया

का निरस्त कर प्रकरण तहसीललदार लोहावट को दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देकर मृतक पेपा पत्नी कोजा राईका के सम्पूर्ण विधिक वारिसान की जांच कर नये सिरे से नवीन म्युटेशन पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को अपीलांट को बिना नोटिस एवं सूचना दिये सीधे केम्प मे ले जाकर बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2004 मे स्वीकृत हुए नामांतरकरण संख्या 83 के विरूद्ध वर्ष 2013 मे लगभग 9 वर्ष के देरी से प्रस्तुत अपील के साथ जो धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसमे विलंब का क्षमा करने बाबत कोई ठोस एवं संतोषप्रद कारण का उल्लेख किया हुआ नही होते हुए भी अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट की वल्दियत के बारे मे आपत्ति प्रकट करते हुए जो अपील पेश की थी जिसके संबंध मे अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र एवं परिवार राशनकार्ड की छायाप्रतियां पेश की थी जिसमे अपीलांट सरूपाराम के पिता का नाम कोजाराम दर्शाया हुआ है तथा इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत जमाबंदी खतौनी गांव डेडिया तहसील फलोदी की पेश की जिसमे भी अपीलांट सरूपा के पिता का नाम कोजाराम राईका लिखा हुआ है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस दस्तावेजो पर गौर किये बिना केवल रेस्पो0 के मोखिक कथनो को आधार मानकर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने इस न्यायालय हाजा के समक्ष बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत ग्राम रातडिया तहसील फलोदी के नामांतरकरण संख्या 79 की छायाप्रति प्रस्तुत की जिसमे सहखातेदार कोजा राईका के फोत होने पर उसके खातेदारी की भूमि का उक्त नामांतरकरण अपीलांट सरूपा वल्द कोजा राईका के नाम का स्वीकृत हुआ था, रेस्पो0 ने उक्त नामांतरकरण के संबंध मे कोई आपत्ति नही की इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 83 ग्राम खेडा बागोडिया मे वर्णित वादग्रस्त भूमि मे से अपीलांट ने अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्से का रजिस्टर्ड बेचान अन्य व्यक्तियों को दिनांक 23–9–2013 को ही कर दिया था तथा उक्त बेचान होने के बाद रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

दिनांक 22–10–2013 को ठीक एक माह बाद म्युटेशन अपील पेश की जिसमे केतागणो को पक्षकार भी नही बनाया । वकील अपीलांट ने कथन किया कि उक्त भूमि के बेचान होने बाबत तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकट कर दिया गया था तथा अपीलाधीन भूमि के बेचान का दस्तावेज भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया था, जो पत्रावली मे उपलब्ध है । परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रेकर्ड की जांच करवाये तथा अपीलाधीन भूमि के बेचान के तथ्य को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–6–2016 निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 स्व0 खातेदार कोजा राईका की जायंदा पुत्रियां है तथा स्व0 कोजा के कोई जायंदा लडका नही था इसलिए उसके खातेदारी की भूमि मे उतराधिकार मे पुत्रियो के नाम म्युटेशन स्वीकृत किया जाना चाहिये था परंतु पुत्रियो को वंचित रखते हुए अपीलांट जो कि कोजाराम के भाई चैनाराम का पुत्र है, अपीलाधीन भूमि की खातेदार पेपा पत्नी कोजा के फोत होने पर मृतका के पुत्र के रूप मे राजस्व कर्मियो से मिलावट कर म्युटेशन संख्या 83 स्वीकृत कर लिया, जो प्रारंभ से ही विधिविरूद्ध था, जिसकी जानकारी होने पर उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रथम अपील पेश की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा उक्त नामांतरकरण संख्या 83 को निरस्त कर प्रकरण को मृतक पेपा पत्नी कोजा राईका के समस्त विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नये सिरे से नामांतरकरण की कार्यवाही हेतु तहसीलदार लोहावट को रिमाण्ड किया है, जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 83 तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदि का अवलोकन किया । अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 83 के अवलोकन से यह प्रकट है कि अपीलाधीन भूमि की खातेदार पेपा पत्नी कोजा जाति राईका थी तथा जिसके फौत होने पर अपीलाधीन भूमि का विरासत का नामांतरकरण उसके वारिसान के रूप मे सरूपाराम पुत्र कोजाराम जाति राईका के पक्ष मे दिनांक 5–7–04 को स्वीकृत किया गया था ।

वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 1 व 2 क्रमशः लहरा एवं धाई ने स्वयं को मृतक खातेदार कोजा की पुत्रियां होने तथा अपीलांट स्वरूपाराम स्व0 कोजाराम का पुत्र नही होकर उसके भाई चैनाराम का पुत्र होना बताया है परंतु उक्त अपीलाधीन भूमि का म्युटेशन गलत रूप से उसे कोजाराम का पुत्र बताते हुए विधिविरूद्ध स्वीकृत करवा लिया जाने का कथन करते हुए उक्त म्युटेशन को निरस्त कर पुत्रियों के नाम दर्ज करने का

निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–6–2016 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए नामांतरकरण संख्या 83 ग्राम खेडा बागोडिया का निरस्त कर प्रकरण तहसीललदार लोहावट को दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देकर मृतक पेपा पत्नी कोजा राईका के सम्पूर्ण विधिक वारिसान की जांच कर नये सिरे से नवीन म्युटेशन पारित करने हेतु रिमाण्ड किया है ।

वर्तमान मामले मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध बेचान दस्तावेज के अवलोकन से यह प्रकट है कि अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 83 मे वर्णित वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार अपीलांट सरूपाराम पुत्र कोजाराम ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का पंजीबद्ध बेचान अन्य देवीसिह पुत्र अगरसिह राजपूत निवासी देचू, उत्तमसिह पुत्र हुकमसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम धोलिया एवं श्रीमती गुलाब कंवर पत्नी उत्तमसिह राजपूत निवासी ग्राम धोलिया के पक्ष मे दिनांक 23–9–2013 को कर दिया था । ऐसे मे अपीलाधीन भूमि मे बेचान के साथ ही केतागण के हक अधिकार निहित हो चुके है ।

उक्त पंजीबद्ध बेचान होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 व 2 मृतक खातेदार की पुत्रियो द्वारा दिनांक 22–10–2013 को म्युटेशन संख्या 83 के विरूद्ध अपील पेश की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब अपीलाधीन भूमि के बेचान का दस्तावेज भी प्रस्तुत कर दिया गया था तो अधीनस्थ न्यायालय को उसके परिपेक्ष्य मे अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना चाहिये था । परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन बेचान के तथ्य को नजरअंदाज करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–6–2016 मे आंशिक हस्तक्षेप के साथ तहसीलदार लोहावट को यह अतिरिक्त निर्देश दिये जाते है कि मृतक पेपा पत्नी कोजाराम राईका के सभी विधिक वारिसान की जांच के साथ ही अपीलाधीन भूमि के बेचान दस्तावेज मे उल्लेखित केतागणो को भी नोटिस जारी कर उनको सुनवाई का अवसर दिया जाने के बाद म्युटेशन के संबंध मे विधिसम्मत आदेश पारित करे । उक्त अतिरिक्त निर्देशो के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 17–1–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

|